

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / नि0सं0—38—04 / 2024

पटना, दिनांक:—

श्री शशि कुमार साहा, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रतिनियुक्त किशनगंज अंचल, किशनगंज) को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 11.08.2025 से 01.09.2025 तक कुल 22 (बाईस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री साहा के अवकाश लेखा में (25-22=03) तीन दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / —

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापक:—6 / नि0सं0—38—04 / 2024 100

पटना, दिनांक:—09/01/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, किशनगंज/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), किशनगंज अंचल, किशनगंज/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शशि कुमार साहा, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), किशनगंज अंचल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।